†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): इस विषय पर सभा में एक पूरे हफ्ते तक बहस हो चुकी है । इसके बारे में बहुत से माननीय सदस्य अपनी राय जाहिर कर चुके है; कुछ ने इसकी ताईद की है और कुछ ने मुखालिफ़त । करीब २४० संशोधन रखे गये हैं । बहुत सारी बातें उठाई गई हैं । उनमें से ज्यादातर वैदेशिक-कार्य से ताल्लुक रखती है, और वह भी वैदेशिक-कार्य के एक ही पहलू से ज्यादा––हमारी सीमा के मसले से, चीन के साथ हमारी सीमा के बारे में उठे मसले से । और, इस मसले का भी एक पहलू खास तौर से लिया गया है––मैंने प्रधान मन्त्री चाऊ एन लाई को जो पत्र भेजा है, यहां आने को जो दावत दी है, उस पहलू को इसीलिये मेरा ख्याल है कि इन संशोधनों में जितनी सारी बातें कही गई हैं, उन सब को न लेकर मैं उनमें से कुछ खास खास और अहम मसलों को ही लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

मैं मानता हूं कि कुछ और भी मसले बड़े अहम हैं, कुछ नजरियों से बड़े अहम हैं, लेकिन मेरे पास यहां इतना समय कहां कि मैं उन सभी के बारे में कुछ कह सकूं । यह मुमकिन नहीं । इसलिये मैं सब से पहले सीमा का सवाल, चीन की फ़ौजों का हमारी सीमा में अनधिकृत ढंग से घुस आने का और उसके सिलसिले में हमारे द्वारा अभी हाल में की गई कार्यवाही का सवाल लेता हूं ।

यहां यह बहस जिस तरह चली है, और इस सिलसिले में जो कुछ बयान दिये गये हैं उनसे इसी विषय के बारे में कुछ और भी बातें उठी हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने अपनी नीति बदल दी है, उलट दी है । सिर्फ़ इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कहा गया है कि सरकार ने और खास तौर से मैंने खुद, वैदेशिक-कार्य मंत्री की हैसियत से, संसद् के साथ, ज्यादती की है, हमने पूरी ईमानदारी से काम नहीं लिया, हमने घुटने टेक दिये हैं, हम बिल्कुल जमीन में उल्टे पड़ गये हैं और हमने कौम की, राष्ट्र की बेइज्जती को बरदाश्त कर लिया है । इतना तक कहा गया है कि इतिहास में ऐसी दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलेगी । हमारी ईमानदारी पर शक़ किया गया है । जाहिर है कि यह हमारी नीति की आलोचना भर नहीं, उससे कुछ ज्यादा है, काफी ज्यादा है । उसके बारे में कुछ और कहने से पहले मैं शुरू में ही एक बात साफ कर देना चाहता हूं । अगर सरकार पर यह जुर्म लगाया जाये कि वह राष्ट्र की बेइज्जती के सामने झुक गई हैं, उसने घुटने टेक दिये हैं, तो वह एक बहुत बड़ी बात हैं । तब यह निहायत जरूरी हो जाता है, कि उसके बारे में यह सभा और सारा देश पूरी तरह से स्पष्ट हो ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्र के अपमान, उसकी बेइज्जती के लिये थोड़ी सी भी जिम्मेदार सरकार को अपनी कुर्सी पर बैठे रहने का कोई हक नहीं ! वह इसके काबिल नहीं । अगर कोई वैदेशिक-कार्य मंत्री या कोई प्रधान मंत्री अनजाने में ही कोई ऐसा काम करे जिससे देश का अपमान हो, उसकी बेइज्जती हुई हो, तो उसे अपनी कुर्सी छोड़कर अलग हो जाना चाहिये । इसलिये यह एक बहुत ही बड़ी और अहम बात है । इस बात का बहुत ही गहरा असर पड़ेगा कि इस सभा और पूरे देश की इसके बारे में, क्या राय है ।

आज सुबह के अखबारों में इसी सिलसिले में एक खबर छपी है । वैसे आम तौर पर मैं यह पसंद नहीं करता कि ठीक से पता लगाये बिना अखबारों की किसी खबर का हवाला दूं । लेकिन मैं आज जिस विषय पर बोल रहा हूं यह खबर उसी से ताल्लुक रखती है । इसीलिये मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं । विरोधी दल के एक बड़े ही सम्माननीय सदस्य, इस सभा के एक ऐसे सदस्य

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू[

जिनकी हम सभी बडी इज्जत करते है, आचार्य कृपालनी ने कहा है ।क "मौजूदा सरकार के नेताओं ने गद्दारी" की है भारत के साथ । अपने भाषण में, उन्होने यह भी कहा है ।क "ऐसी हालत में हम कैसे कुछ कर सकते हैं जब कि हमारी इज्जत या प्रतिष्ठा कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो खुद प्रतिष्ठाहीन हैं ?"

बात बिल्कुल दो-टूक है । उसमें अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं । और अगर यह सच है, इसमें बाल बराबर भी कोई सच्चाई है, तो मुझे यहां इस सभा में खड़े होने का कोई हक़ नहीं । मुझे इस काम से छुट्टी ले लेनी चाहिये और इस देश की बागडोर उन लोगों के हाथ में दे देनी चाहिये जो ज्यादा इज्जतदार, ज्यादा प्रतिष्ठावान हैं । मैं जानता हूं कि मेरे इज्जतदार दोस्त, आचार्य कृपालानी कभी कभी शब्दों के साथ वह जाते है, और कभी कभी कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिन पर बाद में उन्हें पछतावा होता है । कह नहीं सकता कि भावावेश में आकर उन्होंने ऐसा कहा या सोच-समझने के बाद ऐसा जुर्म लगाया है । अगर इसे भावावेश में आकर कहा गया भी मान लिया जाये तो भी उन जैसे से आदमी के मुह से निकलने पर इसका महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है । सरकार और यह सभा इनको सिर्फ़ भावावेश में कहे गये शब्द नहीं मान सकती । इस बात का जिक्र कर ने से मुझे दुख हो रहा है, इसलिये कि आचार्य जी हमारे एक बडे पुराने सहयोगी हैं । लेकिन मुझे पूरी आशा है कि यह सभा महसूस करेगी कि राष्ट्र की बेइज्जती, उसके अपमान के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना, प्रतिष्ठाहीन उद्देश्य रखने वाला कहलाना कितने दुःख की बात है । अलग अलग लोगों की बात छोड़ दीजिमे, इस सभा में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अधिकांश जिन्दगी भारत की आजादी और उसकी इज्जत को ऊंची उठाने के काम में ही खपाई है और अब अगर उनकी जिन्दगी की ढलान में उनसे कहा जाय कि उन्होंने भारत की इज्जत के साथ गद्दारी की है, बेइज्जती के सामने घुटने टेक दिये हैं, तब वह संसद् में बहस करने की बात नहीं रह जाती, उसे लेकर संसद् में बहस नहीं की जा सकती । वह इससे कहीं बड़ी चीज़ हो जाती है, किसी और हलके की ।

यह कुछ बेढंगी सी बात होगी कि मैं इस सभा में खड़े होकर अपने इरादों और अपने सम्मान, अपनी इज्जत के बारे में सफाई पेश करूं । भारत की सेवा में किसी न किसी रूप में ५० साल तक लगे रहने के बाद भी अगर मुझ पर ऐसा एक आरोप, एक ऐसा जुर्म लगाया जा सकता है, तो फिर ठीक है मैं अपनी तरफ से उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता । अगर कोई ठीक समझें तो उस पर यकीन करले ।

कहा गया है कि मैंने संसद् के साथ ज्यादती की है । मैंने चाऊ एन० लाई को दी गई इस दावत के बारे में राज्य सभा को कुछ भी नहीं बताया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका कहीं कोई जिक्र नहीं हैं । आप सभी जानते है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकारी नीति संबंधी एक वक्तव्य होता है । उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है । इसलिये इस ढंग की बहसों में सम्मानीय राष्ट्रपति का नाम घसीटना ठीक नहीं है, बिलकुल गलत है । अगर राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई बात गलत है, या कोई ऐसी बात है जिस पर लोगों को एतरीज़ है, तो माननीय सदस्यों को सरकार की नुकताचीनी करनी चाहिये, सरकार की ही बुराई करनी चाहिये । हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये । राष्ट्रपति की आलोचना तो नहीं की गई, लेकिन फिर भी उनका नाम बीच में लाया गया है और जैसे भी हो वह बहस की चीज़ बना है । यह ठीक नहीं है ।

मैं आपको सिलसिलेवार कुछ तारीखें बताता हूं। इसलिये कि कुछ लोगों का शायद यह ख्याल था कि हम कुछ घटनाओं की तारीखों का सिलसिला गड़बड़ा कर पेश करते रहे हैं, और कभी राज्य-सभा में तो कभी अभिभाषण में तथ्यों पर पर्दा डालते रहे हैं। इतना तो आप खद समझ सकते हैं कि अगर मैं आज एक बात कहूं और उसके पाच छः दिन बाद उसकी उल्टी ही बात कहने लगूं, तो वह एक हास्यास्पद चीज़ होगी। जान बूझ कर तो मैं वैसा नहीं कर सकता, हो, कभी कभी कुछ ग़लती जरूर कर सकता हूं। दो देशों के बीच चलने वाली बातचीत या पत्र व्यवहार के बारे में कुछ कायदे, कुछ नियम हैं, उसका एक तरीका होता है। उस तरीके के मुताबिक मैं किसी भी सभा में यहां या राज्य सभा में, और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी तब तक अपने पत्र का उल्लेख नहीं कर सकता था जब तक कि मेरा पत्र ठिकाने तक न पहुंच जाये, उस आदमी को न मिल जाये जिसके नाम वह भेजा गया है। इससे पहले मैं उस पत्र की बात किसी को बता ही नहीं सकता था, क्योंकि वह बड़ी ही ग़लत बात होती? कायदे के खिलाफ़ बात होती। मैंने भरसक कोशिश की थी कि मेरा पत्र थोड़ा पहले तैयार हो जाय और उनको मिल जाय, जिससे कि मैं संसद् में पहले ही दिन उन कागज़ात को पेश कर दूं। लेकिन जवाब भेजने में देरी हो गई थी। लाख कोशिश करने पर भी जल्दी नहीं की जा सकी। हमें उसे तैयार करने में जनवरी का लगभग पूरा महीना लग गया और तब कहीं जाकर इस महीने के शुरु में उस नोट को चीन सरकार के सामने पेश किया जा सका। जनवरी के पूरे महीने हमारे पास बहुत ज्यादा काम रहा, हमारे हाथ फंसे रहे थे। कांग्रेस का अधिवेशन भी उसी महीने में था, फिर गणतंत्र दिवस की धूमधाम आ गई और उसी बीच में हमारे देश में बाहर के बड़े-बड़े मेहमान आये। मार्शल वोरोशिलोव आये, नेपाल के प्रधान मंत्री आये, और कुछ दिन बाद ही श्री ख्रुश्चोव और फिर फिनलैण्ड के प्रधान मंत्री आये। इस तरह पूरे महीने भर काम का बड़ा दबाव रहा। मैं तो चाहता था कि यह मसविदा और पहले तैयार हो, लेकिन उसके पहले काफी छानबीन करने की जरूरत थी। मसविदा भी ऐसा तैयार करना था जिसको देखकर सिर्फ हमें ही अपनी बात ठीक जंचे, ऐसा न हो, बल्कि दूसरों को भी हमारी बात ठीक जंचे। दलीलों को इस ढंग से रखना था कि दूसरे भी उसे ठीक समझें, यहां तक कि चीन सरकार को भी वे जंच जायें, और हमें उम्मीद है कि जंचेगी। हमारी उस सब मेहनत का नतीजा ही था वह नोट। वैदेशिक-कार्य मंत्री की हैसियत से मुझे उस पर बार-बार गौर करना जरूरी था। उसके बाद ही, उस नोट को मंत्रि-मंडल की वैदेशिक-कार्य समिति के सामने रखा गया था। समिति ने भी उस पर कई बार गौर किया था। और तभी उसे आखिरी शक्ल दी गई थी। फिर सवाल यह उठा कि मैं क्या जवाब दूं क्योंकि नोट में प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई के दावतनामे का जिक्र किया गया था। हमने उस पर काफी सोचा और फिर इस नतीजे पर पहुंचे कि उस नोट में इसका जिक्र न किया जाये, क्योंकि हमारे नजरिये से उसके लिये एक अलग से पत्र भेजना ही ठीक था। वह नोट ३१ जनवरी के आस पास तैयार हो चुका था और तय यह किया गया था कि मैं अपना पत्र भी उसी के साथ भेजूं, उसी वक्त पर भेजूं। मंत्रिमंडल की वैदेशिक-कार्य समिति ने उस पर विचार किया था। ठीक ठीक तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी कोई अहमीयत भी नहीं। तो दो तीन दिनों में सभी कागजात तैयार हो गये थे। मैंने ५ फरवरी को उस पत्र पर दस्तखत किये थे। दूसरे कागज़ पर हमारे राजदूत को दस्तखत करने थे, मुझे नहीं। तभी वह चीन सरकार को दिया जा सकता था। हम उस नोट और उस पत्र को तार से भी भेज सकते थे, लेकिन हमने यह ज्यादा अच्छा समझा कि हमारे राजदूत उसे खुद चीन ले जायें अपन साथ, और वहां चीन सरकार को दे दें। ५ फरवरी को वह हमारे राजदूत को दे दिया गया था। मेरी तरफ से काम खत्म था। फिर राजदूत शायद एक दो दिन के लिये मद्रास चले गये उसके बाद ही वह ६ फरवरी को दिल्ली से रवाना हुए और १२ फरवरी को वह नोट और मेरा पत्र दोनों पीकिंग में चीन सरकार को दे दिये गये थे। नोट में वही तारीख पड़ी है

[श्री जवाहर लाल नेहरु]

जिस दिन वह चीन सरकार को दिया गया था, हालांकि दोनों साथ ही दिये गये थे। वैसे नोट मेरे पत्र से भी पहले का है। मेरे पत्र में भी नोट का जिक्र है। मेरे पत्र पर ५ फरवरी की तारीख है और नोट पर १२ फरवरी। इसलिये कि पत्र पर यहां ५ फरवरी को मैंने दस्तख़त किये थे।

कुछ लोग इसके बारे में भी बड़े-बड़े ख्याल दौड़ा रहे हैं और उनका ख्याल है कि इसमें कोई बड़ी गहरी बात है, दोनों की तारीखें इसलिये अलग अलग रखी गई हैं कि पत्र श्री ख्रुश्चोव के यहां आने से पहले का रहे या कुछ आगे पीछे तारीखें रखी जायें। ऐसे अन्दाज़ लगाये जा रहे है। मैं आपको बता दूं कि इन मामलों में मैं इतना चालाक नहीं हूं। मुझे तो सिर्फ़ यही फ़िक्र थी कि वह सब काम संसद् की बैठक शुरू होने के पहले पूरा हो जाये, जिससे कि मैं उन कागजात को दोनों सभाओं में पेश कर सकूं। लेकिन उसे तार से न भेजने का फैसला करने की वजह से उसे वहां पहुंचने में कुछ दिन और ज्यादा लग गये थे। सभा की बैठक ८ फरवरी से शुरू हुई थी। और उसी दिन सुबह हमारे राजदूत को वह नोट दिया गया था। जैसे ही हमें पता चला कि हमारे राजदूत ने चीन सरकार को वे कागज़ दे दिये हैं, हमने उनको यहां सभा के सामने पेश कर दिया। वैसे उस समय चीन के प्रधान मंत्री पीकिंग में नहीं थे, लेकिन उन कागज़ात को चीन के वैदेशिक-कार्य मंत्री को दे दिया गया था। इसलिये कि उसमें और ज्यादा वक्त न लगे।

इस सिलसिले में मैं एक बात और बता दूं। श्री ख्रुश्चोव यहां ११ फरवरी को आये थे और उन से मेरी बातें पहली बार १२ फरवरी को हुई थीं। इस नोट और मेरे पत्र के देने और लिखने से उस का कोई ताल्लुक हो नहीं। वे दोनों तो काफी पहले तैयार किये जा चुके थे। पिछले कुछ हफ्तों में हमारे देश को संसार के कई बड़े-बड़े नेताओं का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रेसीडेंट आइजनहावर, श्री ख्रुश्चेव, मार्शल वोरोशिलोव, पड़ोसी नेपाल के प्रधान मंत्री और फिनलैण्ड के प्रधान मंत्री यहां आये हैं। इन को ले कर अखबारों में तरह-तरह की अटकलबाजियां की जा रही हैं कि मैं ने प्रेसीडेण्ट आइजनहावर से क्या बातें की और फिर ख्रुश्चेव से क्या कीं। यह ज़ाहिर है कि कि जो गोपनीय बातें हमारे बीच हुईं; मैं उन का यहां या कहीं और खुलासा तो नहीं कर सकता। अगर इस तरह उन का आम तौर पर खुलासा होने लगे तो इस तरह की बातचीत ही नहीं हो सकती। हां, लेकिन मैं सभा को बताता हूं कि उन से बातचीत करने के दौरान में मैं ने अपना क्या नजरिया रखा है। मैं उस बातचीत को तो नहीं बता सकता, अपना नजरिया जरूर बता सकता हूं।

उदाहरण के लिये, मैं ने प्रेसीडेण्ट आइजनहावर से कई घंटे बातचीत की थी, और कई सवालों पर की थी। बातें हमेशा दुनिया की हालत से, शिखर सम्मेलन, निःशस्त्रीकरण आदि से शुरू होती थीं और फिर दुनिया के कुछ अलग अलग क्षेत्रों के बारे में होती थीं। खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे और अमरीका के बीच ऐसा उलझा हुआ मसला नहीं था, जिस के बारे में बातचीत की जाये। सोवियत यूनियन के साथ भी यही बात थी। इसलिये हम लोगों ने बड़े-बड़े मसलों पर ही बातें की थीं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रेसीडेण्ट आइजनहावर जैसे ही यहां से गये, लोगों ने मुझ से पूछना शुरू किया कि मैं ने उन से पंचवर्षीय योजना के लिये मदद मांगी थी या नहीं। इस के बारे में तो दोनों देशों के प्रतिनिधि बात कर ही रहे हैं। इस में कोई छिपाने की बातें भी नहीं हैं। लेकिन मैं ने यह बड़ा ग़लत तरीका समझा कि मैं अपने मेहमान से अपने लिये कुछ करने के लिये कह कर उन को परेशानी में डालूं। मैं इन सवालों पर इस तरह नहीं सोचता। लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे लेकिन सही यह हैं कि हम लोगों ने

हालांकि सभी मामलों पर, पंचवर्षीय योजनाओं पर भी बातें की थीं, पर मैं ने कभी यह नहीं कहा कि वह आ कर हमारी यह या वह मदद करें किसी मामले में। उन को हमारी जरूरतें मालूम हैं। मेरे लिये यह ठीक नहीं था कि उस समय अपनी ज़रूरतों का खाता खोल कर बैठता। यह तो एक छोटी सी चीज़ है। मैं आम तौर पर अपनी मांगें पेश नहीं करता, खास तौर से अपने इतने बड़े-बड़े मेहमानों के आगे।

श्री ख्रुश्चोव के साथ भी यही हुआ। कुल मिला कर हमारी बातचीत शायद पांच घंटे तक हुई और सभी तरह के विषयों पर हुई। आज कल हर बातचीत शिखर-सम्मेलन से ही शुरू होती है, और निःशस्त्रीकरण तथा दुनिया के मौजूदा तनाव को कम करने की सम्भावनाओं के बारे में चर्चा होती हैं। प्रेसीडेण्ट आइजनहावर और श्री ख्रुश्चोव दोनों ही के साथ अफ्रीका में होने वाली क्रान्तिकारी उथल-पुथल के बारे में भी बात हुई थी। मौजूदा जमाने की यह एक बड़ी अहम बात है। दुनिया के और दूसरे ऐसे मामलों मसलों पर भी बातें हुई थीं जिन का हम से कोई ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन दुनिया के हालात पर उन का असर पड़ता है।

लोगों का शायद यह ख्याल था कि मैं श्री ख्रुश्चोव के साथ चीन के अपने झगड़े के बारे में बहुत ज्यादा ब्यौरेवार बातें करूंगा और मैं उन से अपनी मदद करने की या चीन पर कोई दबाव डालने की अपील करूंगा। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग ऐसी बातें किस तरह सोचते हैं। जो भी हो, मैं आप को बता दूं कि मैं इसे डिप्लोमेसी (राजनयन) नहीं मानता, न मैं अपने इतने बड़े मेहमान के साथ इस तरह का बर्ताव करना ठीक ही समझता हूं। वैसे सारी दुनिया के हालात पर बातें करने के दौरान में, मैं ने अपने देश की समस्याओं के बारे में भी कहा था, अपनी सीमान्त के झगड़ों का भी जिक्र किया था, लेकिन बहुत ही थोड़े में, शायद छः-सात जुमलों में ही। मैं ने उन से कहा था कि उन झगड़ों के बारे में हमारा नज़रिया यह है, और यह सब आप की जानकारी के लिये है। मैंने सोचा कि उस का बिलकुल जिक्र ही न करना भी ग़लत होगा। लेकिन मैं ने उन से यह नहीं कहा कि वह हमारे लिये कुछ करें, या किसी पर कोई दबाव डालें। वैसा कहना मेरा काम नहीं था। यह तो उन के अपने सोचने की बात है कि वह क्या ठीक समझते है और उसे किस ढंग से करना चाहते हैं। इस सिलसिले में बस कुल इतनी ही बात हुई थी, चन्द मिनटों तक। इस से ज्यादा कुछ नहीं।

इन बातचीतों के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रेसीडेण्ट आइजनहावर और श्री ख्रुश्चोव---दोनों ही का रुख भारत के प्रति, हमारे देश की तरफ और हमारे उद्देश्यों की तरफ़ बड़ा ही दोस्ताना रहा। मुझे इस से ज्यादा कुछ चाहिये भी नहीं था। अगर हम लोग एक दूसरे से कुछ सवालों के साफ़-साफ़ जवाब मांगते, तो वह हम तीनों के लिये एक परेशानी और उलझन की बात होती। और वह तरीका भी ठीक नहीं है।

यह सब बताने का मतलब यह है कि हम ने चीन सरकार को जो अपना जवाब भेजा है उस का श्री ख्रुश्चोव से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी आलोचनाओं के दौरान में बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि चीन में हमारे राजनयिक प्रतिनिधि नाकामयाब रहे हैं और हमारा प्रतिरक्षा संगठन भी पिछले दस साल में ठीक नहीं रहा है। मैं चाहता हूं कि हमें अपने राजनयिक प्रतिनिधियों के बारे में ऐसी बहसों में इस ढंग की बातें नहीं कहनी चाहियें। वे अपनी सफाई में तो कुछ कह नहीं सकते और न ही सरकार ही पटल पर कुछ रख सकती है; सरकार उन रिपोर्टों को तो पेश नहीं कर सकती जो उन्हों ने भेजी थीं। उन के बारे में इस तरह की बातें कहना एक बड़ी ज्यादती है। फिर भी, मैं आप को बता दूं कि एक मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि राजनयिक संसार में हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों की, खास तौर से हमारे सीनियर राजनयिक प्रतिनिधियों

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

की, बड़ी प्रतिष्ठा है। राजनयिक प्रतिनिधियों में वे काफी अच्छे माने जाते हैं। हर देश में उन की इज्जत की जाती है, सिर्फ इसीलिये नहीं कि वे हमारे संदेश वहां ले जाते हैं, ——यह तो हर कोई कर सकता है,——बल्कि इसलिये कि वे बड़े काबिल लोग हैं ; वे अपने देश के नजरिये को तो समझते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों के नजरियों को भी बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। उन लोगों ने देश की बड़ी सेवा की है।

जहां तक चीन का सम्बन्ध है, हम ने हमेशा ही भारत और चीन के बीच के ताल्लुकात को बड़ी अहमियत दी है, और इसीलिये हम ने अपने सब से ज्यादा सीनियर लोग ही वहां प्रतिनिधि बना कर भेजे हैं। हमारे सब से काबिल प्रतिनिधि ही वहां भेजे गये हैं। चीन में जिस वक्त इन्कलाब हुआ था और उस की कामयाबी के बाद यह नयी सरकार बनी थी, उस वक्त चीन में हमारे जो प्रतिनिधि थे वह आज संसद् के सदस्य हैं। उन से पहले और उन के बाद भी, हम ने अपने सब से सीनियर, काबिल और अनुभवी लोग ही वहां भेजे हैं। हम उन के बड़े आभारी हैं कि उन्हों ने इतने मुश्किल जमाने में बड़ी कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

और, जहां तक प्रतिरक्षा की बात है, वह एक काफी बड़ा सवाल है। लेकिन पिछले इन दस सालों में प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी, जो कुछ भी हुआ है, उस में बहुत ही कम या कहना चाहिये बिल्कुल ही नहीं रही है। जिन बुनियादी नीतियों पर हम ने अमल किया है, वे सरकार की ही जिम्मेदारियां हैं और पूरी सरकार की भी नहीं वह जिम्मेदारी खास तौर से वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री की हैं। आप चाहें तो मंत्रिमंडल की वैदेशिक कार्य समिति को उस के लिये जिम्मेदार कह सकते हैं। ऐसी हालत में बुनियादी नीति को ले कर वैदेशिक-कार्य मंत्री की आलोचना करना तो ठीक है, पर दूसरों को भी उस में लपेटना उन के साथ ज्यादती करना होगा, क्योंकि नीति बनाने में उनका कोई हाथ ही नहीं रहा।

एक और बात है जिस से मुझे ताज्जुब हुआ है। वह यह कि इस लम्बी बहस के दौरान में माननीय सदस्यों ने कई-कई बार उस निमंत्रण का, दावतनामे का जिक्र किया है जो मैं ने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई को भेजा है। शायद किसी भी माननीय सदस्य ने उस लम्बे नोट का जिक्र तक नहीं किया जो उस दावतनामे के साथ भेजा गया है। नोट पर १२ फरवरी की तारीख पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे राजदूत ने उस पर उसी दिन दस्तखत किये थे। इस पूरे मामले के बारे में भारत सरकार की नीति तो उसी नोट में दी गई है, मेरे पत्र में नहीं। उस लम्बे नोट को तैयार करने में कई हफ्ते लगे थे, उस के बारे में बड़ी गहराई से सोच-विचार किया गया था, और उस का मसविदा कई बार काट छांट कर लिखा गया था। लेकिन किसी भी माननीय सदस्य ने उस का जिक्र तक नहीं किया। लोगों ने नीति बदलने की बात कही है, राष्ट्र की बेइज्जती वगैरह का हवाला दिया हैं। लेकिन जिस नोट में हम ने अपनी नीति रखी है, उस का किसी ने जिक्र भी नहीं किया। हम ने उस का मसविदा बड़ी सावधानी से तैयार किया था, पर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने बस इसी बात को बार-बार उठाया है कि हम ने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई को दावत दी है। यह बड़ा अजीब सा लगता है। नोट का किसी ने जिक्र तक नहीं . . . .

† **डा० सुशीला नायर** (झांसी) : विरोधी दल ने जिक्र नहीं किया लेकिन हम ने तो किया था।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : श्री मसानी तक ने उस का उल्लेख किया था और तारीफ़ की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : सामान्यतया उस का उल्लेख किया गया था । उस नोट से कोई भी असहमत नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं अपनी ग़लती मानता हूं । मेरे कहने का मंशा यह है कि हमारी नीति का खुलासा तो उसी नोट में किया गया था । मैं ने उन को जो दावत दी है उस पर भी आप चाहें तो ऐतराज कर सकते हैं । यह तो अपनी-अपनी राय की बात है । लेकिन उस का हमारी नीति से कोई ताल्लुक़ नहीं । लोगों ने बड़े-बड़े अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं, बड़ी-बड़ी बातें उस के बारे में कही हैं। कहा है कि हम ने अपनी पूरी नीति ही बदल दी है । श्री मसानी, श्री अशोक मेहता और आचार्य कृपालानी के भाषण देखिये । मैं मानता हूं कि लोगों को अपनी राय जाहिर करनी चाहिये कि वे नोट में उल्लिखित हमारी नीति से सहमत हैं या नहीं । ठीक है, यह तो कहा ही जाना चाहिये । हो सकता है कि कुछ लोगों की राय में मेरी तरफ से प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई को दावत देना गलत हो । आप उस की आलोचना जरूर कर सकते हैं, लेकिन कोई वह हमारी नीति की बात तो है नहीं । इन दोनों चीजों में कुछ फ़र्क किया जाना चाहिये । दोनों अलग-अलग चीजें हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं अपनी बात से टल गया हूं और जो कुछ मैं ने कहा था, मैं उस पर नहीं चल रहा हूं । वैसे मैं सभा का वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं समझता । और मैं नहीं चाहता कि बार-बार बताता फिरूं कि मैं ने पहले क्या-क्या कहा था और क्या मेरे लफ्ज़ थे । लेकिन चूंकि यह बात बार-बार कही गई है, इसलिये और कोई चारा भी नहीं है । मैंने हमेशा एक मोटे तौर पर यही कहा है कि मैं प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाइ से ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति से हमेशा मिलने और बात करने के लिये तैयार हूं, हां इतना जरूर है कि मिलने के लिये सहूलियत वगैरह का ख्याल रखा जाना चाहिये । मैं कभी भी अपनी तरफ से 'नहीं' नहीं कहूंगा । यह दूसरी बात है कभी किसी से मिलना ज्यादा अच्छा हो सकता है और कभी कुछ कम । लेकिन मैं कभी भी मिलने से इन्कार नहीं करूंगा ; इसलिये कि मुझे शुरू से यही सिखाया गया है ।

अपनी नीति पर मजबूती से चलना एक बात है, और अपने विरोधी या अपने दुश्मन से बात तक करने से इन्कार करना दूसरी बात है । मैंने इन दोनों में हमेशा फर्क किया है । अगर मुझे अपने-आप पर, अपनी जनता और अपनी नीति पर भरोसा है, यकीन है, तो मैं किसी के भी साथ उसके बारे में बात कर सकता हूं । बात करने से इन्कार वही लोग करते हैं जिन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता । राजनीति में पसंद और नापसंदगी नहीं चलती । ऐसी बातें नहीं की जाती कि अगर आपको किसी की सूरत पसंद नहीं तो आप उससे बात ही नहीं करेंगे । राजनीति में बड़े-बड़े देशों के मसले उठते हैं । अगर एक किसी देश का किसी दूसरे देश से झगड़ा हो जाये या उसकी नौबत आ जाये तो किसी देश की बुराई करते फिरने से कोई फायदा नहीं होगा । कभी भी किसी एक देश या उस देश की जनता की बुराई नहीं करनी चाहिये । मैं एक सिद्धान्त रख रहा हूं । हो सकता है कि कभी किसी नीति में गलती के कारण कोई सरकार उसका विरोध करे, लेकिन हमें उस हालत में भी उस पूरे देश की जनता को बुरा-भला नहीं कहना चाहिये । मैंने यही एक बुनियादी चीज सीखी है । विरोधी दलों के लोगों ने शायद किया हो, लेकिन हमने अपनी आजादी की लड़ाई में कभी भी इंगलैंड की जनता की बुराई नहीं की । हम उनसे लड़े, जरूर लड़े, लेकिन कभी उनको बुरा भला नहीं कहा और ठीक वक्त आने पर उनको अपना दोस्त भी बना लिया ।

मैंने अपने सामने हमेशा यही सिद्धान्त रखा है । खास तौर से भारत और चीन के इस मामले में मैंने इसी को सामने रखा है । भारत और चीन दोनों ही एशिया के बहुत बड़े-बड़े देश हैं, और दोनों देशों का यह जबरदस्त विवाद बड़ी अहमियत रखता है और हो सकता है यह कुछ हफ्तों या महीनों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं, बल्कि बरसों और शायद कई पीढ़ियों तक चले। इसलिये कि न तो चीन हमें इतनी आसानी से दबा सकता है और न हम चीन को। बात बिलकुल साफ़ है। ऐसी हालत में हमें सोच-विचार कर ही चलना पड़ेगा। बिना समझे गरमी या गुस्सा दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें जो भी करना है वह दूरन्देशी से करना है, बहुत दूर तक सोच लेना है कि हम अपने देश की इज्जत उसकी गरिमा और उसकी प्रादेशिक अखंडता की हिफाजत किस ढंग से करें और साथ ही इस झगड़े से बाहर निकालने का दरवाजा भी हमेशा खुला रखें। यह भी हो सकता है कि आप दरवाजा खुला रखें, लेकिन उसमें होकर निकलने का, झगड़े के निबटारे का, मौका कई साल बाद हाथ लगे। फिर भी दरवाजा खुला तो रखना चाहिये। मैंने इतिहास से और अपने निजी अनुभव से यही सबक सीखा है।

मैं संसार के कई बड़े-बड़े राजनीतिक और दूसरे नेताओं से मिला हूं। मैंने उनसे सीखने की कोशिश की है। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी किताबें भी पढ़ी हैं। पिछले पचास साल में मैंने कई ऐतिहासिक परिवर्तन देखे हैं। भारत की आजादी के महान नाटक में यहां मौजूद कई सदस्यों ने और मैंने भी एक बड़ी हद तक अभिनेता की हैसियत से भाग लिया है। इसलिये अपने इस सारे अनुभव से सीख लेकर ही हमें अपने मसलों को हल करने के लिये कार्यवाही करनी है। यह सही है कि हमें इससे पहले इतने बड़े मसले का सामना नहीं करना पड़ा था। आज एशिया और संसार के दो इतने बड़े-बड़े देश एक-दूसरे के सामने गुस्से से भरे हुए आ टटे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? भविष्य की बात बताई नहीं जा सकती, समझी नहीं जा सकती। मैं तो सिर्फ यह जानता हूं कि जब ऐसी कोई चीज होती है, तो एक राष्ट्र को अपनी पूरी अक्ल, अपनी पूरी ताकत और पूरे धैर्य व प्रयत्न से उसका सामना करना होता है। यही मैंने कहा है कि हमें अपनी पूरी अक्ल से, पूरी बुद्धिमानी से, और साथ ही धीरज और गूझ बूझ के साथ काम करना चाहिये।

मैंने इस मामले के बारे में पहले क्या कहा था? माननीय सदस्यों ने मेरे पिछले वक्तव्यों का हवाला देते हुए कहा है कि मैंने कहा था कि मैं मिलने के लिये उसी हालत में तैयार हूं जब उसका कोई नतीजा निकलने की उम्मीद हो। लेकिन उसमें भी मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं उनसे नहीं मिलूंगा। ५ नवम्बर को, मैंने कहा था।

> "जहां तक मिलने का सवाल है, आम तौर पर मेरा, हमारा वजरिया, मैं जिस गांधीवाद की परम्पराओं में पला-पोसा हूं, उसका नजरिया यही है कि मिलने के लिये हमेशा तैयार रहो, बातचीत करने के लिये तैयार रहो, सख्त अल्फाज से बचो, लेकिन बड़ी कार्यवाही करने के लिये जहां तक भी बन सके, तैयार रहो, और गरमी दिखाने तथा डरने से बिलकुल दूर रहो।"

मैं विरोधी दलों के कुछ सदस्यों का ध्यान इसकी ओर खींचना चाहता हूं।

फिर मैंने १६ नवम्बर को प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई को लिखा था:

> "मैं आपके साथ मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच के मतभेदों के बारे में बातचीत करने और दोस्ताना तौर पर उनका हल निकालने की कोशिश करने के लिये हमेशा तैयार हूं .... इसलिये यह बड़ा जरूरी है कि कुछ शुरूआती कदम उठाये जायें और हमारी बातचीत के लिये एक बुनियाद तैयार की जाये।"

और १६ नवम्बर को ही, मैंने लोक-सभा में कहा था :

"प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई ने अपने पत्र में यह भी सुझाया है कि दोनों प्रधान मंत्रियों को दोनों देशों की सीमा के सवाल और अन्य सवालों पर बातचीत करने के लिये जल्दी ही मिलना चाहिये। हर विवादग्रस्त मामले पर बातचीत करने के लिये मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन ऐसी मुलाकात का कुछ अच्छा नतीजा तभी निकल सकेगा जबकि हम पहले एक अन्तरिम समझौता करने के लिये कोशिश करना शुरू कर दें।"

आप देखिये कि मैंने कभी यह नहीं कहा है कि मैं नहीं मिलूंगा। यह परिस्थितियों पर होता है कि मुलाकात हो या न हो।

मैंने २७ नवम्बर को लोक-सभा में कहा था :

"यही सही है कि हम सभी बहुत चाहते हैं कि मुलाकात हो, लेकिन अगर यह मुलाकात ठीक हालत में, उचित वातावरण में न हो, उसके लिये तैयारी न की जाये, उसकी कुछ बुनियाद न बनाई जाये, तो सिर्फ मुलाकात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वह नाकामयाब भी रह सकती है ; उससे नुक़सान भी पहुंच सकता है। यह तो अपनी सही या गलत समझ पर होता है। यह सही है कि अगर ऐसी मुलाकात में एक थोड़ी सी झलक भी इस बात की आ जाये कि एक पक्ष ने मिलने के लिये कहा है, इसलिये उसकी बात की खानापूरी की जा रही है, तो वह बिलकुल बेमतलब सी मुलाकात होगी। मैं मुलाकात को टालना या उसमें देर करना नहीं चाहता। मैं उसे टालने या उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं ; लेकिन उसकी कुछ तैयारी तो की जानी चाहिये, उसके लिये जमीन तो तैयार की जानी चाहिये।"

मैंने २२ दिसम्बर को राज्य सभा में कहा था :

"उस पूरे पत्र (प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई के पत्र) में जो एक बात उभर कर ऊपर आती है वह है—मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो मौका मिलने पर—जब भी मौका मिलेगा और सहूलियत होगी—उसका जरूर फायदा उठाऊंगा। इस लिये कि दोनों देशों के बीच के ये मसले इतने ज्यादा गम्भीर हैं कि दूसरा कोई रास्ता अपनाने की बात सोचना भी खतरनाक़ लगता है।"

मैंने प्रधान मंत्री चाऊ-एन-लाई के नाम अपने जवाब में २१ दिसम्बर को कहा था :

"मैं आपके साथ मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच के मत भेदों के बारे में बात करने और निबटारे की गुंजाइश निकालने की कोशिश करने के लिये हमेशा तैयार हूँ। लेकिन प्रधान मंत्री जी, जब तथ्यों के बारे में हमारे बीच इतना गहरा मत भेद है तब हम सिद्धान्तों के बारे में एक-दूसरे से सहमत कैसे हो सकेंगे ? इसी लिये मैं यह अच्छा समझता हूँ कि मैं आपके उस जवाब का इंतजार करूं जो आपने मेरे २६ सितम्बर के पत्र और ४ नवम्बर के नोट के जवाब में भेजने का वायदा किया है। उसके बाद ही हम अगले कदम के बारे में सोचें। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों में रंगून या किसी भी दूसरी जगह जाना मेरे लिये नितांत असम्भव है।"

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसके बाद ८ जनवरी के एक संवाददाता सम्मेलन में मुझ से पूछा गया था :

"क्या निकट भविष्य में चाऊ-एन-लाई से मिलने की आपकी कोई योजना है ?"

मेरा जवाब था :

"अभी इस समय तो मैंने कोई योजना नहीं बनाई है, लेकिन मैं उसे नामुमकिन भी नहीं मानता । वह असल में हालात पर निर्भर है, क्योंकि मैं जैसा पहले भी कह चुका हूं और मुझे उम्मीद भी है, कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे समझौते के दरवाजें बन्द हो जायें । मैं उसे बिलकुल ही नामुमकिन नहीं मानता, लेकिन अभी इस समय ऐसी कोई बात नहीं है ।"

मेरा मतलब है मुलाकात । उसके बाद मुझ से पूछा गया था मुलाकात की शर्तों के बारे में । मैंने जवाब में कहा था :

"मैं समझता हूं कि इस तरह के मामले में मेरे लिये यह ठीक नहीं होगा कि मैं कुछ शर्तें रखूं । यह कहूं कि मुलाकात तभी होगी जब ये-ये शर्तें पूरी कर दी जायेंगी । अगर दो देश इस तरह की शर्तें लगाने लगें, ऐसा अड़ियल रुख अपनाने लगें एक-दूसरे के लिये, तो फिर किसी मामले पर बैठकर बातचीत करना ही मुश्किल हो जायेगा । ऐसे मामले से सभी तरह की बातें जुड़ी रहती हैं । दूसरी बातों के अलावा, राष्ट्र की इज्जत का सवाल भी इससे जुड़ा रहता है ।"

फिर, एक सीधा सवाल था :

"क्या इसका मतलब यह है कि आप श्री चाऊ-एन-लाई से बिना किसी शर्त के मिलने के लिये तैयार हैं ? "

मेरा जवाब था :

"इसका सबसे पहला मतलब यह है कि मैं दुनिया के हर इंसान से मिलने के लिये तैयार हूं । मैं किसी से भी मिलने से इंकार नहीं करता । यह हुआ नम्बर एक । दूसरा यह कि कोई भी इंसान तभी किसी दूसरे से मिलना चाहता है जबकि वह समझता है कि मुलाकात का कुछ नतीजा, अच्छा नतीजा निकलेगा । बुरे नतीजे के लिये कोई क्यों मिलेगा ? मुलाकात करने से पहले इन दोनों खास चीज़ों पर गौर करना पड़ता है । कोई भी सिर्फ़ इसलिये किसी दूसरे से मिलने नहीं दौड़ता कि उनकी मुलाकात की बड़ी चर्चा चल रही है । यह भी तो हो सकता है कि मुलाकात का वह वक्त गलत हो, या यह कि उसका मतलब ग़लत समझा जाये, और फिर उसका नतीजा अच्छे के बजाये बुरा निकल सकता है । लेकिन अगर मुलाकात से कोई अच्छा नतीजा निकलने की उम्मीद हो, तो उसके लिये तैयार रहना चाहिये ।

इसीलिये मेरे लिये यह बताना तो मुश्किल है कि यह मुलाकात ठीक-ठीक कब, कहां और किन हालात में हो सकती है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि मैं उसे नामुमकिन नहीं मानता ।"

मैंने लोक सभा, राज्यसभा और सम्वाददाता सम्मेलन में जो-जो कहा था, वह आपके सामने है । आप खुद देख सकते हैं कि शुरू से मेरा एक ही ख्याल रहा है—कि मिलने से कभी इन्कार न करो और कोशिश करो कि मुलाकात अच्छे से अच्छे हालात में, जितना भी मुमकिन हो सके उतने

अच्छे हालात में हो, और साथ ही बीच-बीच में वह भी सोचते रहो कि मुलाकात कब कुछ ज्यादा अच्छी रहेगी और कब उससे कुछ कम अच्छी होगी।

प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई ने जब मुझे एक दो हफ्तों के अन्दर रंगून में मिलने की दावत दी थी,तब कई वजूहात से, तरह-तरह की बातों की वजह से, मुझे वह चीज़ पसन्द नहीं आई थी। वैसे अगर पसन्द भी आती, तो उन दिनों काम इतना ज्यादा और जरूरी था कि उसे छोड़ कर रंगून नहीं जा सकता था। बात मेरी समझ में ही नहीं आई थी कि मैं उनसे मुलाकात करने रंगून या किसी दूसरी जगह पर क्यों जाऊं। मुझे वह तरीका पसन्द नहीं आया कि "अगले हफ्ते मिलो!" और फिर उस मुलाकात की दावत एक ऐसे दस्तावेज के जरिये दी गई थी, जिसमें चीन सरकार का नजरिया पेश किया गया था, और जिसमें कुछ उसूल, कुछ सिद्धान्त वगैरह तय करने की बात थी जिनको बिना पर हम बातचीत करने के लिये मिलें। अगर मैं वह दावतनामा मान लेता तो हमारी मुलाकात की पृष्ठभूमि चीन का पत्र ही होती, हम उसी को बिना पर तो मिलते। हालांकि यह सही है कि उसका मतलब यह नहीं होता कि मैंने उनकी कोई बात मंजूर कर ली है, फिर भी बिना तो उसी दस्तावेज की रहती। मुझे उसकी बिना पर मिलना पसन्द नहीं था। मैं उस बात को सफाई कर देना चाहता था। मैं उस दस्तावेज के साथ उनसे नहीं मिलना चाहता था। मैंने तब तक इन्तजार करना ज्यादा अच्छा समझा जब तक कि मेरे २४ सितम्बर के पत्र के जवाब में चीन का और लम्बा जवाब आ जाये। इसीलिये मैंने तब कहा था कि "मैं इस सवाल पर बाद में गौर करूंगा।" यही वजह है कि जब चीन की तरफ से जवाब आ गया और कुछ दूसरे दस्तावेज भी आ गये और हमने उन पर गौर करने के बाद उनका एक जवाब तैयार कर लिया, तो मुझे, और मन्त्रिमण्डल समिति के मेरे सहयोगियों को भी, यही ठीक जंचा कि अब उसके जवाब में यही ज्यादा अच्छा होगा कि अब प्रधान मन्त्री चाऊ-एन-लाई को भारत में मुझ से मिलने की दावत दी जाये। मैंने अपने पत्र में कोई शर्तें नहीं रखीं। अगर वह मिलने आते हैं तो उसका मतलब यह कतई नहीं होगा कि उन्होंने हमारी कोई बात मान ली है, मंजूर कर ली है। वैसे उनके दावतनामे पर भी यही बात लागू होती थी; लेकिन फिर भी एक फर्क था उसमें। यह फर्क भी काफी बड़ा है कि "इस पत्र के बाद हम मिलें"। इसकी बिना पर मिलने में काफी फ़र्क हो जाता।

†**श्री हेम बरूआ** : विरोधी दल के सदस्यों ने सिर्फ यही कहा है कि जब तक तथ्यों के सम्बन्ध में बीच का मतभेद दूर नहीं कर लिया जाता तब तक सिद्धान्तों पर बातचीत करने के लिये मिलने से कोई लाभ नहीं होगा। हमने प्रधान मन्त्री को मिलने से नहीं रोका। तथ्यों के बारे में क्या मतभेद हैं? हम यही जानना चाहते थे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अफसोस की बात है कि माननीय सदस्य ने मेरी इन बातों को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा। मेरी यही मुश्किल है। मैं कोई बात लगी-लिपटी नहीं रखना चाहता। आप से साफ़ कह रहा हूं। मेरी मुश्किल यह है कि कुछ ऐसे निहित स्वार्थ हैं, कुछ ऐसे हित हैं जो भारत और चीन के बीच कोई भी समझौता नहीं होने देना चाहते। (**अन्तर्बाधा**)

निहित स्वार्थ से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सोचने का तरीका, जिनका नजरिया, जिनका दिमागी ढांचा ही कुछ ऐसा है कि वे भारत और चीन के बीच समझौता होना ग़लत समझते हैं। मेरा मतलब वैसे निहित स्वार्थ से नहीं .....

†**श्री हेम बरूआ** : प्रधान मन्त्री ने हमारे प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं किया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्रीमन्, क्या मुझे राष्ट्र की बेइज्जती और अनुचित व्यवहार वगैरा के आरोपों को सिर झुका कर सुनते रहना चाहिये? (**अन्तर्बाधा**)

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

क्या विरोधी दल का यह ख्याल है कि मैं उनके इस आरोप को चुपचाप सुनता रहूं कि मैंने राष्ट्र की बेइज्जती कराई है ? मैं ग़द्दार होने की बजाय, कम अक्ल होना ज्यादा पसन्द करूंगा । मैं इतना सुनने के बाद भी सभा में कोई तेजी नहीं दिखा रहा हूं । यह सिर्फ इसीलिये कि इस सभा की, इस सभा की परम्पराओं की इज्जत करता हूं । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझ पर इन बातों का कोई असर नहीं होता । सभा में जिस तरह की चीज़ें कही गई हैं, सिर्फ़ विरोधी दल ही नहीं, इस तरफ के लोगों ने भी जिस तरह की कुछ बातें कही हैं, मुझे उन पर गुस्सा आता है । (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : आप की देशभक्ति पर हमें शक नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने किसी भी माननीय सदस्य को भाषण के बीच में उनको नहीं टोका, रुकावट नहीं डाली । फिर वे मेरी बात खामोशी से क्यों नहीं सुनते ? (**अन्तर्बाधा**) . . . . . क्या इस तरह रुकावट डालने की उनको अनुमति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं । बिल्कुल नहीं । किसी भी तरफ से दूसरे की ईमानदारी पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : देश के साथ ग़द्दारी करने का जुर्म क्या आक्षेप नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहियें । न तो विरोधी दल के सदस्यों को ऐसे आरोप लगाने चाहियें कि माननीय मन्त्री ने देश की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, और न इस तरफ से यह कहा जाना आवश्यक है कि दूसरों का कुछ निहित स्वार्थ है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बात साफ कर दूं । मैं विरोधी दल के सभी सदस्यों की बात नहीं कहता, लेकिन हां, यहां कुछ सदस्य ऐसे जरूर हैं जो 'कोल्ड वार' (शीत युद्ध) के रुख को ही बनाये रखना चाहते हैं, उसे छोड़ना ही नहीं चाहते । उसी को मैंने निहित स्वार्थ, कहा था । उदाहरण के लिये, श्री मसानी का यही नज़रिया है । मेरा ख्याल है कि मेरे और श्री मसानी के नज़रियों में कोई भी बात मिलती-जुलती नहीं है । हम दोनों के नज़रिये एक-दूसरे से कोसों दूर हैं, हमारे सोचने के तरीके एकदम अलग-अलग हैं । श्री मसानी यह बिल्कुल नापसन्द करते हैं कि कोई भी देश आज के तनाव को कम करने के लिये कुछ भी करे । भारत भी कोई ऐसी कार्यवाही करे यह उन्हें पसन्द नहीं । आप खुद देखिये कि इसमें और मेरे नज़रिये में जमीन आसमान का फ़र्क़ है, एक दुनियादी फ़र्क़ है । यहां सवाल जायदाद या रुपये पैसे के निहित स्वार्थ का नहीं है । यहां सवाल यह है कि उन्होंने अपने आपको दिमागी तौर पर कुछ ऐसी विचारधाराओं से बांध लिया है । मिसाल के तौर पर, कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक निहित स्वार्थ है । वे राष्ट्रीय आन्दोलन को, राष्ट्र की भावनाओं को, राष्ट्र की जनता के उभार को बिल्कुल समझ ही नहीं पाते । (**अन्तर्बाधा**) इन दो मिसालों से साफ़ हो जायेगा कि निहित स्वार्थ से मेरा अपना मतलब क्या था । शीत युद्ध का रवैया तो एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं आज ही नहीं बल्कि हमेशा ही ग़लत समझता रहा हूं ।

मैं एक आम बात कह रहा हूं, कि शीत युद्ध का नज़रिया हर हालत हर सूरत में बिल्कुल ग़लत है । शीत युद्ध से बचने का मतलब यह नहीं कभी होता कि हम दुश्मन या अपने विरोधी के सामने कमजोरी दिखाते हैं । शीत युद्ध के बारे में यह नजरिया रखना मैंने और शायद अन्य लोगों ने, गांधीजी से सीखा है । मैंने उनसे जो बहुत सी बातें सीखी हैं, यह भी उनमें से एक है । मैं यह दावा नहीं करता मैं उनकी इस सीख पर हमेशा ही अमल करता रहा हूं । मैं भी कभी-कभी गरम हो उठता हूं । इसी तरह के कई काम कर बैठता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लेकिन मेरा यकीन है कि व्यक्तियों, समूहों या दूसरे राष्ट्रों के साथ बर्ताव करने के लिये यही नज़रिया सब से ठीक है। सब से ज्यादा सही है। और खास तौर पर बड़े-बड़े राष्ट्रों के झगड़ों में तो यह नज़रिया और भी महत्व रखता है। मौजूदा दुनिया और उसकी समस्याओं के सिलसिले में तो इस विषय में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। हर जिम्मेदार आदमी को यह महसूस कर लेना चाहिये कि तनाव बढ़ाने, आपसी बैर और नफ़रत बढ़ाने वाला नज़रिया एक बुरा नज़रिया है। इस नजरिये का नतीजा यह भी हो सकता है कि आखिर में सारी दुनिया ही तबाह हो जाये। इसीलिये मैंने इस नज़रिये को ग़लत कहा है। यह एक ऐसा नज़रिया है जो बुनियादी तौर से ग़लत है क्योंकि उसकी बुनियाद हिंसा और नफ़रत पर रखी होती है, वह दुनिया को आगे बढ़ने से रोकता है, रोड़ा बन जाता है। मुखालिफ लोगों की ग़लती को देख कर नफ़रत पैदा हो सकती है। ठीक है। लेकिन फिर भी यह नज़रिया एक ग़लत नज़रिया है।

और, दूसरी बात यह कि वह नज़रिया ग़लत तो होता ही है, साथ ही वह नज़रिया हमें हालात की तबदीलियों को समझने नहीं देता। हमारे ख्यालात एक सतह पर जम जाते हैं पांच-दस साल पहले जहां जमे थे वही बने रहते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के हालात बदलते चले जाते हैं, लेकिन हम नये हालात को भी अपने पुराने चश्मे से ही देखते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर सभा इन सीमान्त के मसलों के बारे में चीन को भेजे गये हमारे नोट को मंजूर करती है, उसका अनुमोदन करती है, तो वह हमारी नीति का समर्थन कर रही है। उस नोट में हमारी नीति ही रखी गई है। मैं समझता हूं कि उसे मंजूर किया गया है। मुझे ठीक-ठीक पता नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उसका अनुमोदन कर रहे हैं या नहीं। इसलिये कि उनका नज़रिया कुछ दूसरा है।

कम्युनिस्ट पार्टी इस बात का बड़ा ढोल पीटती रही है कि दोनों प्रधान मंत्रियों को मिलना चाहिये। जहां तक मेरी बात हैं, मैं तो समझता हूं कि हमारी मुलाकात के रास्ते में अगर कोई रोड़ा है तो वह कम्युनिस्टों का यह ढोल पीटना ही है। इसलिये कि वे जिस उद्देश्य से ऐसा ढोल पीट रहे हैं वह मेरे अपने उद्देश्य से बिल्कुल जुदा है। मैं किसी की शान के खिलाफ़ कुछ नहीं कहना चाहता, पर मैं कहूंगा कि कम्युनिस्ट लोग ऐसा ढोल इसीलिये पीट रहे हैं, इतनी जोर-जोर से इसीलिये पीट रहे हैं कि आम लोग उनकी असली राय और उनकी दिली भावनायें न जान पायें, उन पर पर्दा पड़ा रहे। एक बार जब वे चीख-चीख कर कहते हैं कि "प्रधान मंत्रियों को मिलना चाहिये।" तब फिर उन्हें इस मसले के दूसरे पहलुओं के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन मैं इस आधार पर नहीं चल रहा मुझे तो अपनी बात समझानी है।

कह नहीं सकता कि यह मुलाकात होगी भी या नहीं। मैं तो चाहता हूं कि हो। फिर भी मेरा यही ख्याल हैं और मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगियों का भी यही ख्याल है कि उनको दावतनामा भेजना चाहिये था। हमने इसके परिणामों पर काफ़ी बारीकी से सोच समझ लिया है। और जब इतने सोचने-समझने के बाद हमने दावतनामा भेजा, तो कुछ लोग चौंकते हैं "क्या आप कहते हैं कि वह हमारे सम्माननीय अतिथि होंगे।" मैं पूछना चाहता हूं: "और नहीं तो क्या होंगे"? हम जब किसी को अपने देश में आने की दावत देते हैं, तो फिर उनके साथ और कैसा बर्ताव कर सकते हैं? इसमें भी वही शीत-युद्ध का नज़रिया आ जाता हैं वही नफ़रत की जहनियत। बिना सोचे-समझे, भौंडे और बेतुके ढंग से लोग ऐसी-ऐसी बातें कह गये हैं जिनसे दूसरों की नजरों में हमारे देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती। अगर किन्हीं बड़े-बड़े राष्ट्रों के साथ हमारा कुछ झगड़ा आ पड़ा हो, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि लोग उन राष्ट्रों के नेताओं के बारे में मनमाने ढंग से ऐसी भौंडी और बेतुकी बातें कहें। इससे हमारे देश का माथा ऊंचा नहीं होता।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मैंने अभी-अभी कहा था कि हमें कभी भी पूरी जनता की बुराई नहीं करनी चाहिये। इसी तरह हमें जनता के नेताओं के खिलाफ़ भी ऐसी बातें नहीं कहनी चाहियें। वे अपनी जनता के प्रतिनिधि हैं। वे जनता की नुमाइंदगी करते हैं। जाती तौर पर मेरी भी कई खामियां हो सकती है। उनके लिये आप मेरी बुराई कर सकते हैं; आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी, किसी दूसरे देश का कोई आदमी मेरी बेइज्जती करे, भारत के प्रधान मंत्री की बेइज्जती करे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी उस पर नाराजगी जाहिर करेंगे, वे लोग भी जो मुझ से कोई खास उन्सियत नहीं रखते। यह सिर्फ इसीलिये कि उस हालत में मैं इस संसद् का प्रतीक बन जाता हूं। इसी तरह दूसरे देशों के नेता भी अपने देश के प्रतीक हैं, निशान हैं अपनी जनता के। इसलिये हमें उनकी शान में ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे कि उन देशों की जनता में गुस्सा पैदा हो और वह हमारी बात तक सुनने के लिये तैयार न हो। हां, हम दूसरे राष्ट्रों की सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं, उनकी मुखालफ़त कर सकते हैं।

शायद श्री मसानी ने और कुछ अन्य सदस्यों ने भी कहा कि दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों, बर्मा, लंका, इण्डोनेशिया और भारत को मिलाकर एक गुट बनाना चाहिये। पता नहीं इसकी जड़ में तीसरी ताकत वाला पुराना ख्याल ही है, या नहीं। शायद नहीं है। खैर जो भी हो। मैं चाहता हूं कि सभा इस पर गौर करे कि ऐसी बातों का कोई मतलब ही नहीं होता। बेमतलब सी बात है। सबसे पहले तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इन देशों—नेपाल, बर्मा, इण्डोनेशिया, लंका, वग़ैरह—के साथ हमारे बहुत नजदीकी दोस्ताना ढंग के ताल्लुक़ात हैं। लेकिन इस तरीके से दूसरे देशों का जिक्र करने से, उन देशों को खुशी नहीं होती। वे समझते हैं कि जैसे हम किसी चीज के लिये मजबूर कर रहे हैं। ऐसा जिक्र उनको बड़ा नापसंद होता है। वे आजाद देश हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं और उनके हित भी हमसे काफी मिलते-जुलते हैं। लेकिन जैसे ही उनको यह महसूस होता है कि उन पर कुछ दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उनसे इसलिये मदद चाही जा रही हैं कि हम मुसीबत में हैं, वैसे ही वे समझते हैं कि उनको जबरन हांकने की कोशिश की जा रही है। दो देशों के बीच आपस मे इस तरह की बातें नहीं की जातीं, यह तरीका ग़लत होता है। दबाव भी सब तरह के होते हैं और सभी देशों पर होते हैं। लेकिन यह समझना ग़लत है कि दूसरे देश दबाव को मान ही लेंगे, झुक ही जायेंगे। हर देश को अपने अन्दरूनी और बाहर के हालत देख कर चलना पड़ता हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम इन देशों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात रखना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। खुशी की बात है हमारे ताल्लुक़ात हैं भी ऐसे ही।

प्रतिरक्षा, अर्थात, सीमा संबंधी प्रश्न के बारे में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। हम सभा को बता चुके हैं कि प्रतिरक्षा के संबंध में हमें केवल अल्पकालीन दृष्टिकोण ही नहीं अपनाना है बल्कि अपनी रक्षा के लिए हमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण भी अपनाना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी विद्यमान संकट में अपनी सारी शक्ति और ताकत नष्ट कर दें और आगे के लिए हममें कुछ भी न बच रहे जाये। अत: हमें दोनों दृष्टिकोणों को ख्याल में रखना है और उनको देखते हुये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि हमें इन जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए क्योंकि प्रत्येक देश की बुनियादी नीति—प्रत्येक देश की बुनियादी विदेशी नीति—यही होती है कि अपनी रक्षा की जाय—अन्य नीतियों को बात तो इसके बाद आती है। विदेशी नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में मैं बता चुका हूं, पर विदेशी नीति का मूल उद्देश्य यही है कि देश के हितों की रक्षा की जाय। अन्य बातें तो बाद की है। हम अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं पर उग्र राष्ट्रवादी तरीके से नहीं,—जो दुनियां की तरफ नहीं देखता—बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा तरीका दुनियां में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुये तथा विश्व

शान्ति के अनुकूल हो। अतः प्रतिरक्षा की समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार करते हुये, न मुझे यह बताना है और न मैं यह बता सकता हूं कि हम अपनी सीमा पर क्या वास्तविक कार्यवाही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी बात सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जाती, पर हम सीमा पर सभी प्रकार की आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। हम वहां सड़कें, हवाई अड्डे आदि बनवा रहे हैं।

मेरा ख्याल है कि श्री भक्त दर्शन जी ने ही फिर यह सवाल उठाया कि विदेशी विमान हमारे राज्य-क्षेत्र में उड़े हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने कहा था कि किसी भूतपूर्व सैनिक ने उन से यह बताया था। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी वायु सेना इस मामले में बहुत सावधान है और हमारी वायु सेना ने हमें विश्वास दिलाया है कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त—हमारे विमान वहां अकसर उड़ा करते हैं —किसी सामान्य व्यक्ति के लिए यह बहुत कठिन काम है कि वह ३०,००० या ४०, ००० फुट ऊपर उड़ने वाले विमानों को पहचान सके। इसके अतिरिक्त इसी रास्ते से होकर रूस—भारत वायु सेवा के विमान सप्ताह में दो या तीन बार भारत आते हैं—रूसी विमान टी०यू० १०४ आते है; इन्हें देख कर लोग समझते हैं कि कोई अजीब विमान आते हैं। इसके अतिरिक्त, जब श्री वोरोशिलोव व श्री ख्रुश्चेव यहां आये थे, तो उन्हें लाने, उनके साथ के लोगों को लाने, उनके लिए सामान लाने-लेजाने के सिलसिले में लगातार विमान आते जाते रहे और इसी कारण शायद लोगों ने समझा कि कोई विदेशी शत्रु के विमान हमारी वायु-सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं।

नागा पहाड़ी तुएनसांग डिवीजन की स्थिति के संबंध में मुझे अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहां की हालत निश्चय ही पहले से बहुत अच्छी है। यह सच है कि कुछ छुट पुट कठिनाइयां पैदा होती रहती है और उनको पूर्णतः समाप्त करना बहुत कठिन काम है। वहां पर जो बड़ा सुधार हुआ हैं वह यह नहीं है कि इस तरह की छुट पुट कठिनाइयां कम हो गई हैं या बढ़ गई हैं बल्कि वह सुधार यह है कि नागा जनता के दिमाग में एक परिवर्तन आ गया है, जो कि वास्तविक, मूलभूत तथा लाभदायक बात है और मुझे आशा है कि हमें इसका लाभ अवश्य मिलेगा।

मैं चाहूंगा कि सभा हमारी समस्याओं पर संसार के विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करेगी। हम संसार की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम दुनिया से इस तरह बंधे हुए हैं कि हम उस से अलग नहीं हो सकते और आज दुनिया में एक सब से बड़ी बात यह हो रही है कि सभी महत्वपूर्ण देशों के नेता निश्शस्त्रीकरण के लिये रास्ता ढूंढ रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ाने में और संसार में व्याप्त तनाव को कम करने के लिये प्रयत्नशील हैं। यह बात अत्यधिक महत्व की है क्योंकि यदि संसार इस रास्ते के बजाय किसी और रास्ते की ओर आगे बढ़ता है, तो फिर हमारी समस्यायें महा विनाश द्वारा ही हल होंगी ; यह महाविनाश युद्ध का नहीं होगा बल्कि यदि आणविक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया गया, तो संसार पर एक ऐसी विपत्ति आ जायेगी, जिस से कभी भी निस्तार नहीं होगा। अतः यह बात बड़े महत्व की है और हमें अपने ढंग से इस में यथाशक्ति मदद करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में हम कुछ अधिक नहीं कर सकते क्योंकि न तो सैनिक और न ही वित्तीय दृष्टि से—इस संसार की बड़ी शक्तियों में से हैं। फिर भी कुछ ऐसा है कि शान्ति के लिये प्रयत्न करने वाले देश के रूप में संसार में हमारे देश की कुछ इज्जत है—यह भी एक कारण है कि समस्याओं का—चाहे वह पाकिस्तान की हों या चीन की—हम पर असर पड़ता है। हमें इन समस्याओं का सामना करना है, दबना नहीं है, झुकना नहीं है ; पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी भाषा व हमारा रवैया ऐसा ही हो, जो संसार के रवैये के, जो आज शान्ति का इच्छुक है, अनुरूप हो। अतः इस सवाल पर हमें इस विस्तृत दृष्टिकोण में देखना है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दुनिया की बड़ी-बड़ी बातों में एक बहुत बड़ी बात, जो आज हो रही है, वह है अफ्रीका में क्रान्तिकारी उफान। हाल में सहारा में फ्रांसीसी आणविक परीक्षण हुआ है। यह एक निन्दनीय बात है, इसलिये कि इस प्रकार आणविक परीक्षणों की दूसरी श्रृंखला आरम्भ की जा रही है। हम इस पर खेद प्रकट करते हैं ; हम ने भरसक प्रयत्न किया और राष्ट्रसंघ में भी पहले इस का विरोध किया गया था पर इस फ्रांसीसी विस्फोट से भी बड़ी बात वह है, जो आज अफ्रीका के लोग कर रहे हैं। वे उठ रहे हैं---कभी सही व कभी गलत---एक भीषण उथल-पुथल के बीच। यह हो रहा है वहां और जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारा हृदय और हमारी शुभ कामनायें उन के साथ है।

इस सिलसिले में अफ्रीका में हर तरह की नई समस्यायें पैदा होंगी, जिन का दुनिया पर असर पड़ेगा। एक सब से बड़ी समस्या जातिभेद की समस्या है। सभा को पता है कि दक्षिणी अफ्रीका संघ सरकार ने अपनी नीति जातीय भेदभाव के आधार पर निर्धारित की है। हम लोग भी इस के शिकार हो चुके हैं, भारतीय उद्भव के लोग भी इस नीति का फल भोग चुके हैं पर अफ्रीका के लोगों को तो इस से और भी अधिक हानि हुई है। वह भविष्य बतायेगा कि अब अफ्रीका में क्या होने वाला है, जब अफ्रीका के अधिकांश भाग में स्वतंत्र देश होंगे, जिन का अपना सम्मान होगा और जो किसी भी तरह का जातीय भेदभाव बरदाश्त नहीं करेंगे। जाहिर है कि हालत वैसी नहीं रहेगी, जैसी इस वक्त है।

इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि मैं अभी हाल में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री, श्री मैकमिलन द्वारा दिये गये उस वक्तव्य का स्वागत करता हूं, जो उन्हों ने केपटाउन में संसद् की दोनों सभाओं के सामने दिया था। उन का वह वक्तव्य जातीय भेदभाव सम्बन्धी नीति के बारे में एक स्पष्ट तथा उचित वक्तव्य था। स्वाभाविक है कि हमें इस सम्बन्ध में चिन्ता है और मुझे पूरी आशा है कि ब्रिटिश शासन के प्रभाव में जो देश हैं उन की नीति वही होगी, जिस का श्री मैकमिलन ने जिक्र किया है।

मैं चाहूंगा कि अफ्रीका की जनता के कुछ बड़े-बड़े नेताओं को, जो नजरबन्द हैं या जेल में हैं, और जिन के बिना समझौता नहीं हो सकता, छोड़ दिया जाये, क्योंकि जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जायेगा, इन समस्याओं के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सकता।

इस के बाद मैं गोआ के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सब से पहले मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि---क्योंकि लोगों में कुछ गलतफहमी है---हम ऐसी कोई भी कार्यवाही नहीं करने जा रहे हैं जो गोआ की जनता की स्वतंत्रता के रास्ते में किसी भी तरह बाधक बने। अभी हम विश्व न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करते रहे है ; वैसे विश्व न्यायालय के सामने जो समस्या है उस का गोआ से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ; उस का सम्बन्ध नगर हवेली से है। फिर भी इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने में यह बात हमारे सामने रुकावट के रूप में रही है। मुझे आशा है कि विश्व न्यायालय का निर्णय लगभग एक महीने के भीतर आ जायेगा।

वाद-विवाद में एक और विषय का बार-बार उल्लेख किया गया और वह था भ्रष्टाचार का प्रश्न। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि और इस पर दो राय नहीं हो सकतीं कि इस का सामना करने के लिये, इसे दबाने के लिये और इसे समाप्त करने के लिये प्रत्येक संभव उपाय काम में लाये जाने चाहियें।

श्री अशोक मेहता के कहने का मतलब शायद यह था कि मैं इस बात से इन्कार करता हूं कि भ्रष्टाचार है। उन का ख्याल गलत है। मैं ने बार बार कहा है कि हमारी प्रशासकीय सेवाओं में तथा अन्य स्थानों में भी काफी भ्रष्टाचार है, पर जो बातें कही गई हैं, उन से जितना भ्रष्टाचार वास्तव

में है, उस से बढ़ा-चढ़ा हुआ मालूम देता हैं । मेरा विचार है कि उच्च सेवाओं में कर्मचारियों का स्तर काफी ऊंचा है । मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि भ्रष्टाचार के मामले होते ही नहीं ।

जब से हम ने विशेष पुलिस विभाग स्थापित किया हैं, उसे (इस विभाग को) इस सम्बन्ध में काफी सफलता मिली है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य विशेष पुलिस विभाग के मासिक विवरणों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो संसद् पुस्तकालय में रखे जाते हैं, पर्याप्त ध्यान देते हैं कि नहीं । खैर नया वार्षिक प्रतिवेदन लगभग १ महीने में आने वाला होगा ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : पुलिस विभाग की ईमानदारी, सन्देह से मुक्त नहीं मानी जा सकती ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है कि कभी कभी माननीय सदस्य न्याय व्यवस्था पर भी सन्देह करने लगें । हमारे गुप्तचर विभाग भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ कर उन पर मुकदमा आरम्भ करते हैं इस सम्बन्ध में मैं कुछ संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूं । मैं विशेष पुलिस विभाग के "१९५९ में किये गये कार्य का सिंहावलोकन" नामक एक टिप्पण को सभा पटल पर रख रहा हूं ।

घूस, भ्रष्टाचार आदि सम्बन्धी मामलों की सख्या १९५९ में ९१७ थी, जिस में गत वर्ष के विचाराधीन मामले भी सम्मिलित हैं । १९५९ में १६७१ मामलों की छानबीन की गई । इन में से २६४ मामलों में मुकदमा चलाया गया । ५०१ मामलों को विभागीय कार्यवाही के लिये भेजा गया और १०१ मामलों को समाप्त कर दिया गया क्योंकि सबूत नहीं मिल सके । जिन मामलों में मुकदमे चलाये गये, उन में से १९० में अभियुक्तों को सजायें हो गयीं । विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गये ३६३ मामलों में से ३२५ मामलों में दण्ड दिया गया । १९५९ के नये मामलों में ११६४ सरकारी कर्मचारी जिन में २०७ गजटेड आफिसर थे, अन्तर्ग्रस्त थे । ११८ सरकारी कर्मचारियों को, जिन में १० गजटेड आफिसर भी थे, न्यायालय द्वारा सजा दी गयी । जिन गैर-सरकारी व्यक्तियों को सजा दी गई, उन में रामकृष्ण डालमिया और हरिदास मून्दड़ा भी थे, जैसाकि सभा को पता है । विशेष पुलिस विभाग के काम के सम्बन्ध में मासिक प्रेस विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं और इन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय को भी भेज दी जाती हैं ।

इस सिलसिले में एक न्यायाधिकरण, स्थायी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करने का सवाल उठाया गया । उस सभा में और इस सभा में भी प्रश्नों के उत्तर में मैं बता चुका हूं कि मैं इस सुझाव को उचित और व्यवहार्य नहीं समझता । कुछ बड़े-बड़े लोगों ने भी, जिन के पास न्याय संबंधी और अन्य प्रकार की बड़ी-बड़ी योग्यतायें हैं, मुझे परामर्श दिया है कि भारत के संविधान के अन्तर्गत भी यह प्रस्थापना व्यवहार्य नहीं हैं । संवैधानिक कठिनाई के अतिरिक्त भी मैं नहीं समझता कि यह प्रस्थापना कैसे उपयोगी सिद्ध हो सकती है । मैं समझता हूं कि यदि कोई न्यायाधिकरण बना दिया गया और उस ने सम्पूर्ण देश से शिकायतें मांगीं, तो इतनी शिकायतें आयेंगी कि उन से शासन का सारा काम ठप्प हो जायेगा और कोई भी काम नहीं हो पायेगा और देश के सभी लोगों का दिमाग तथा उन की शक्तियां आरोपों तथा प्रत्यारोपों तथा तर्क में उलझ जायेंगी । अतः मैं इस प्रस्थापना को ठीक नहीं समझता । मैं यह बात मान सकता हूं कि जो विशेष आरोप लगाया गया है, उस की जांच किसी उचित न्यायाधिकरण द्वारा कराई जाये । वह बात तो ठीक है ।

इस समय हमारे सामने पुलिस व कानून आदि कुछ साधन हैं । कोई भी व्यक्ति किसी आरोप के सम्बन्ध में किसी को न्यायालय में ले जा सकता है । मैं मानता हूं कि ये साधन धीमे हैं और उन को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तेज बनाने के लिये हमें आप की सहायता व आप के सुझाव चाहियें । यदि अन्य कोई प्रस्थापना हो, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं । ध्यान रहे कि छानबीन या जांच तभी हो सकती है, जब कोई स्पष्ट आरोप हो । केवल अस्पष्ट बातों या गोलमोल आरोपों पर कोई छानबीन या जांच नहीं की जा सकती ।

मुझे याद है कि कई साल पहले मेरे मित्र श्री त्यागी ने भ्रष्टाचार की बात उठाई थी और उस समय मेरे पुराने साथी श्री चि० द्वा० देशमुख ने श्री त्यागी को उत्तर दिया था कि अस्पष्ट आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है, आप भ्रष्टाचार के विशेष और ठोस मामले लाइये, तो हम इन की जांच करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : उस समय मैं मंत्री नहीं था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि वह मंत्री होते, तो ऐसी बात कहते ही नहीं । इस सरकार ने और इस सभा ने पहले कई महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में छानबीन की है, जिन में देश के कुछ बहुत बड़े-बड़े व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : वाद-विवाद के दौरान में कुछ आरोप लगाये गये हैं, क्या प्रधान मंत्री उनकी जांच कराने के लिए कोई न्यायाधिकरण बनाने के लिए तैयार हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खुशी हैं कि माननीय सदस्य ने मुझे याद दिला दिया । मुझे स्मरण है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री का जिक्र किया था और बताया था कि उसके बेटे को एक ठेका दिया गया है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : मंत्री का नाम लेने की अनुमति मुझे नहीं दी गयी थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस मामले को याद दिला दिया । जब यह मामला उठाया गया था, तुरन्त ही मैं ने मुख्य मंत्री, सम्बद्ध मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों को इसके बारे में लिखा—जैसा कि मैं सामान्यतः करता हूं । जब इस मामले में छानबीन की जा रही थी, उसी बीच उस व्यक्ति के विरुद्ध , जिसने यह आरोप लगाया था, एक मानहानि का मामला शुरू हो गया । दोनों मामले अभी चल रहे हैं । मेरा ख्याल है कि यह मामला कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयुक्त के पास आया था । उस पर भी विचार हो रहा है । मैं ने अपने ढंग से उस मामले की जांच की । मेरा ढंग संतोषजनक है या नहीं, इसका निर्णय सभा को करना है जब मामला न्यायालय में चल रहा था, तो मैं उस में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था । मैं ने सभी आरोप तथा आरोप लगाने वालों से उन के सबूत इकट्ठे किये । फिर मैं ने उन आरोपों के उत्तर मंगवाये । मैंने उन उत्तरों को विधि मंत्री के पास भेज दिया । विधि मंत्री ने उन का सूक्ष्म परीक्षण किया और उस पर अपना एक टिप्पण भेजा । उस टिप्पण को मैं ने संबद्ध मुख्य मंत्री के पास भेज दिया यह टिप्पण उन व्यक्तियों को दिखाया गया, जिन्होंने आरोप लगाये थे । वह टिप्पण राज्यपाल को भी दिखाया गया । मेरे सामने एक कठिनाई थी । चूंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था, अतः मैं उस टिप्पण को प्रकाशित नहीं कर सका । यह मामला अभी भी न्यायालय में है । मैं कानून के रास्ते में नहीं आना चाहता पर चूंकि मुझ से पूछा गया है अतः म बताना चाहता हूं कि उस टिप्पण में....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो यह ठीक न होगा कि प्रधान मंत्री उस के सम्बन्ध में कुछ भी कहें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे रोका जा रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ भी न बताऊं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस समय अपना निष्कर्ष न बतायें ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : क्या पंजाब से भी ऐसे किसी मामले की शिकायत मिली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, अनेक शिकायतें मिली थीं ; जिनकी जांच हो गयी है और उन की रिपोर्टें भी निकाली जा चुकी हैं । एक-दो मामले अभी पिछले कुछ सप्ताहों में आये हैं और उनकी छानबीन की जा रही है ।

†**श्री त्यागी** : राज्यों के मंत्रियों के संबंध में गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा जो शिकायतें आती हैं, उनकी छानबीन करने का प्रधान मंत्री को कोई अधिकार नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह वैधानिक अधिकार की बात नहीं है । मैं तो केवल इतनी ही छानबीन करता हूं कि प्रत्यक्षतः कोई मामला है या नहीं । इस के आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता । मैं किसी को दण्ड नहीं दे सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्र की ज़िम्मेदारी यह ज़रूर है कि वह देखता रहे कि राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था का ठीक प्रकार पालन हो रहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अभी उस दिन स्वतंत्र दल के एक नेता, श्री वी० पी० मेनन ने कहा कि कांग्रेस मंत्रियों के मामले में पक्षपात बरता जाता रहा है । जब ऐसी बात हमारे सामने आती है, तो मैं सम्बद्ध दल से कुछ जानकारी मांगता हूं । अतः तुरन्त ही मैं ने श्री मेनन को पत्र लिखवाया कि वह बतायें कि किस मामले में ऐसा हुआ है । उन्होंने जो उत्तर भेजा वह कुछ अधिक लाभदायक नहीं सिद्ध हुआ क्योंकि उन्होंने पत्र में कहा था, "मुझे फाइलें आदि देखनी होंगी ।" देखिए क्या स्थिति है बिना सम्बद्ध पत्रों को देखे हुये लोग ऐसी बातें कह देते हैं । खैर, मैंने पता लगा लिया है । उन्होंने जिस मामले की ज़िक्र किया है वह १२ साल पुराना है अर्थात् १९४८ का है । यह मामला उसी मंत्रालय से सम्बन्धित है, जिसके वह सचिव थे और सरदार पटेल जिसके मंत्री थे । यह मामला पुरानी मध्य भारत सरकार और विन्ध्य प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के बारे में था । मैं इस के ब्यौरे में नहीं जाऊंगा । हमने इस मामले की जांच कराई थी । हम ने इस संबंध में मुकदमा चलाने का निश्चय किया था । मुझे अच्छी तरह पता नहीं है कि मुकदमें शुरू किये गये थे या नहीं । पर इस मामले पर अच्छी तरह विचार किया गया था । मेरा ख्याल है कि मामला सालिसिटर जनरल और अटार्नी जनरल के पास भी भेजा गया था । सरदार पटेल तथा श्री राजगोपालाचारी ने भी इस पर विचार किया था । उन्होंने मेरे पास एक टिप्पण भेजा था, जिस में उन्होंने कहा था "हम ने इन मामलों पर पूरी तरह विचार कर लिया है ; इन में कोई सार नहीं है" । अटार्नी जनरल ने भी यही प्रतिवेदन दिया था कि इन मामलों को आगे न बढ़ाया जाये । मैंने, इन वरिष्ट साथियों तथा अटार्नी-जनरल की राय मान ली । कर ही क्या सकता था ? ये मामले

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

बड़े छोटे-मोटे थे---यात्रा भत्ते आदि के बारे में कुछ गलतफहमी थी। अतः इन मामलों को वापस ले लिया गया।

एक और मामला सरदार नर्मदा प्रसाद सिंह के बारे में था। बाद में वह बीमा संबंधी गोल माल के एक बड़े मामले में भी थे और फरार हो गये थे। काफी समय तक वह फरार रहे और बाद में पकड़े गये व जेल भेज दिये गये। आप देखिये, अब १२ साल बाद स्वतंत्र दल के उत्तरादायी नेता श्री मेनन यह आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रियों का आचरण खराब था और वे अनुचित काम करते थे। हमें छानबीन के बाद पता लगा कि यह १२ साल पुराना मामला है जब श्री मेनन स्वयं मंत्रालय के सचिव थे; सरदार पटेल भी उस समय थे। श्री राजगोपालाचारी तथा अटार्नी जनरल की राय ली गयी थी। और कार्यवाही की गई थी। यह अनुचित है कि इन आरोपों की अब इस तरह चर्चा की जाये या उनका जिक्र किया जाये।

मैंने काफी समय ले लिया है लेकिन आयोजन के संबंध में मुझे अभी कुछ कहना है। श्री अशोक मेहता ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा का कोई उल्लेख नहीं है और न यह उल्लेख है कि वह सभा के सामने कब उपस्थित की जायेगी। राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक १९ या २० मार्च को होने वाली है, आशा है कि योजना आयोग अप्रैल के अन्त से पहले ही तीसरी योजना की रूपरेखा का मसविदा संसद् के विचार के लिए प्रकाशित कर देगा। इस बीच, जैसा कि सभा को पता है ---सभी दलों के संसद्-सदस्यों की एक अनौपचारिक समिति है, जिसकी बैठकें यदाकदा तीसरी योजना पर विचार करने के लिए होती रहती हैं। तीसरी योजना की अस्थायी रूपरेखा इस प्रकार है (१) राष्ट्रीय आय में कम से कम ५ प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि; (२) ९९५० करोड़ रु० का कुल विनियोजन; (३) सरकारी क्षेत्र में लगभग ५९५० करोड़ रु० का विनियोजन, और कुल ७००० करोड़ रु० का विकास व्यय; जब कि दूसरी योजना में मूलतः यह राशि ४८०० करोड़ रु० रखी गयी थी। गैर-सरकारी क्षेत्र में कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, आवास व्यवस्था तथा संगठित उद्योग सहित कुल विनियोजन लगभग ४००० करोड़ रु० होगा जब कि दूसरी योजना में इसका अनुमान ३३०० करोड़ रु० है।

इस समय उद्योग संबंधी योजना तैयार हो रही है---पूरी अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये। हमें ठोस लक्ष्य निर्धारित करने हैं। लक्ष्यों को सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में बांटने की बात बाद में आयेगी --- इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इन मामलों में सरकार की व्यापक नीति क्या है। हमें कार्य को पूरा करना है और सरकार की मोटी नीति को ध्यान में रखते हुये हम उसे जितनी जल्दी कर लें, उतना ही अच्छा है। अब सरकार उन उपायों के बारे में विचार कर रही है, जिनके द्वारा सामान्य जनता को उद्योग तथा तत्संबंधी अन्य क्षेत्रों में राज्य-उपक्रमों की पूंजी में एक सीमा तक अपना अंशदान देने का अवसर दिया जा सके।

जाहिर है कि इस के लिए बड़े प्रयत्नों की जरूरत है। इस संबंध में योजना आयोग ने जो कुछ कहा है उसे मैं दोहरा देना चाहता हूं अर्थात् निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ेगा :--- (१) कृषि उत्पादन में वृद्धि (२) सभी सरकारी उपक्रमों को किफायत तथा निपुणता से, अधिकतम संभव लाभ उठाते हुये, चलाया जाना (३) निर्माण कार्यक्रम में लागत न्यूनतम रखना (४) प्रशासन संबंधी कार्य में निपुणता व शीघ्रता और (५) मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखना।

कठिनाइयों के होते हुये भी हमने जो तरक्की की है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है । औद्योगिक विकास तथा आयोजन की मिसालें और भी मिल सकती हैं । पर हमारे देश में कठिनाइयों के होते हुए भी आयोजन को जो सफलता मिली है उसकी कोई मिसाल नहीं है । इस में कई कठिनाइयां हैं । अति विकसित देशों में वहां के व्यवस्थात्मक सुधारों ने वहां कल्याणकारी राज्य बनाया और वहां प्रगतिशील करों की प्रणाली को चलाया, जिस ने असमानता को बढ़ने से रोका क्योंकि जब औद्योगीकरण होता है, तो इस से असमानता बढ़ती है —यदि उस पर रोक थाम न रखी जाय । धनी लोग अधिक धनी होते जाते हैं और निर्धन अधिक निर्धन होते जाते हैं ।

यह बात मैं यहां इस लिये बता रहा हूं कि हमारी सभा में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें वर्तमान विचार धाराओं तथा स्थितियों का पता नहीं है और वे यथेच्छाकारिता की बात कहते हैं अर्थात् वे चाहते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था ऐसी हो, जिस में कोई आयोजन या नियंत्रण न हो । मेरा मतलब है कि अति विकसित देशों में जहां व्यवस्थात्मक सुधार के कारण कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है वहां निरन्तर प्रगतिशील कर भी बढ़ाये गये हैं क्योंकि इस प्रकार की रोक लगाये बिना असमानतायें बढ़ती जातीं । कार्मिक संघों आदि का दबाव इन असमानताओं को बढ़ने नहीं देता । अन्यथा गरीबों व अमीरों में अन्तर बढ़ता ही जाता । यही कठिनाई है । यदि हम बिना किसी आयोजन के औद्योगिक उन्नति को बढ़ने देंगे, तो अमीरों व गरीबों का अन्तर बढ़ता ही जायेगा । इसी लिए अनेक प्रकार के व्यवस्थात्मक परिवर्तनों तथा नियंत्रणों की आवश्यकता है ।

राष्ट्र के भीतर तो हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई नियंत्रक शक्ति नहीं है और इसी कारण अन्तर्राष्ट्रीय असमानतायें बढ़ रही हैं । हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी धनी देश अधिक धनी होते जा रहे हैं और गरीब देश अधिक गरीब होते जा रहे हैं ।

साम्यवादी देशों में हमने एक खास बात देखी है और वह है—जन-शक्ति का निर्दय व निरन्तर उपयोग । निस्सन्देह वहां जनता का संगठन किया जाता है और उद्देश्य की पूर्ति की जाती है । लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते । पर अब हमारे सामने भी जनशक्ति को संगठित करने का प्रश्न है, उतना तो नहीं लेकिन एक उचित्त सीमा तक ।

इस वाद विवाद के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दिये गये एक भाषण का जिक्र किया । मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने जो सवाल उठाया था, वह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था और हमें ध्यान रखना है कि मजूरी तथा मूल्यों आदि का बढ़ना एक भयंकर चीज है । इस से हमारी योजनाओं पर असर ही नहीं पड़ता, बल्कि सच पूछा जाये, तो कोई आयोजन हो ही नहीं सकता । इन बातों का सामना हम सामाजिक नीतियां तैयार कर के कर सकते हैं — चीजों को मनमाने ढंग से चलने देने द्वारा नहीं—ऐसी सामाजिक नीतियों को जन्म देना, जिन से अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति हो सके । इसी को आयोजन कहते हैं । श्री मसानी तथा उनके साथियों ने यथेच्छाकारिता की जो बात कही, वह पुरातन-पंथी तरीका है ।

मेरा ख्याल है कि श्री ब्रजराज सिंह ने नालागढ़ समिति प्रतिवेदन का जिक्र किया था । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि योजना आयोग ने हमें सूचित किया है कि उसे मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और आगामी वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है । इसके ब्योरे के बारे में मुझे पता नहीं है ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

श्री खाडिलकर ने श्री लिपमैन के एक लेख का जिक्र किया। वह एक बड़ा दिलचस्प लेख था। वे हमारे सामने विचार के लिए एक समस्या उपस्थित करते हैं। भारत के बारे में लिखते हुये वह कहते हैं कि "तीसरी पंचवर्षीय योजना के क्रातिकारी उद्देश्यों तथा भारतीय राजनैतिक प्रणाली की सामान्यता के बीच असमानता पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं ने स्वयं अपने से पूछा कि क्या महान आर्थिक क्रान्ति को संसदीय राजनीतिज्ञों तथा असैनिक कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जा सकता है ——बिना परिवर्तनशीलता और अनुशासन अथवा संगठित जन आन्दोलन के।"

हमारे सामने यही समस्या है, जिसे हमें हल करना होगा।

हमारे सामने बड़ी बड़ी समस्यायें हैं; भीषण कार्य हैं। हम उसके लिए योजना तैयार करते हैं और योजना तैयार करना वैसे कोई बुरी बात नहीं है। योजना बड़े-बड़े कामों को पूरा करने के लिए होती है। पर प्रश्न यह है कि क्या हमारी वर्तमान व्यवस्था ——मेरा मतलब बुनियादी संसदीय प्रणाली से नहीं है बल्कि इस से है कि यह कैसे चलती है ——काफी है। मैं समझता हूं कि बुनियादी व्यवस्था पर्याप्त है या इसे पर्याप्त बनाया जा सकता है। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह व्यवस्था इस समय जिस प्रकार चल रही है, वह पर्याप्त नहीं है। मैं इस संसद् में जिस प्रकार काम होता है, उस के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहा हूं ——मैं संसदीय लोकतंत्र के पक्ष में हूं और मेरा विश्वास है कि यह प्रणाली बहुत अच्छी ब हमारे उपयुक्त है। अतः मैं उस मूल आधार को बुरा नहीं बता रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लगभग उसी ढंग से काम कर रहे हैं——जिसे श्री लिपमैन ने विक्टोरियन युगीन की प्रणाली कहा है——हम अपनी समस्याओं की गंभीरता और अविलम्बनीयता को नहीं महसूस कर रहे हैं।

हमारी प्रशासकीय व्यवस्था भी एक अच्छी व्यवस्था है लेकिन धीमी व्यवस्था। हम भरसक विचार कर रहे हैं कि कैसे हम इस व्यवस्था को शीघ्रगामी बनायें; कैसे लोगों को अधिक जिम्मेदारी दें, ताकि वे शीघ्रता से निश्चय कर सकें। ब्रिटिश काल में जो समस्यायें थीं, वे सरल थीं और अंग्रेजों ने त्रुटिहीन व्यवस्था बना रखी थी, जिस में सभी बातों की रोक थाम अपने आप होती रहती थी। व्यवस्था तो हमारे सामने भी वही है, पर हमारी सामाजिक समस्यायें बहुत जटिल हो गयी हैं और रोक-थाम संबंधी उपायों के फलस्वरूप हर काम में बहुत देर होती है। इस समस्या को हल करने का एक ही तरीका है——साम्यवादी व पूंजीवादी दोनों इस बात से सहमत हैं——कि लोगों को अधिक जिम्मेदारी देकर मामलों को जल्दी-जल्दी निवटायें। हो सकता है इस से हानि हो, काम गलत हो जायें पर किसी भी राष्ट्र को समय की बरबादी से बढ़ कर और कोई हानि नहीं हो सकती। धन की दृष्टि से भी यह मंहगा पड़ता है पर सब से महंगी बात तो यह पड़ती है कि आप जिन समस्याओं को हल कर रहे हैं उन पर आप काबू नहीं पाते हैं।

मैं सभा का बहुत समय ले चुका हूं। इन सभी मामलों में आप देखेंगे कि—— चाहे सीमा संबंधी कठिनाई का प्रश्न हो या अन्य कोई बात हो——आर्थिक प्रगति का बड़ा महत्व है। आर्थिक प्रगति ही हमें शक्ति देती है, जिस से हम बाहर के और देश के भीतर के, सभी तरह के खतरों का सामना कर सकते हैं। और इस काम में सफलता तभी मिल सकती है, जब सभा संगठित हो कर पथ-प्रदर्शन करे——एक दूसरे को नीचे घसीटने से कछ लाभ नहीं होगा।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को दूसरे अवसर मिलेंगे । मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि नियम ३४३ के अन्तर्गत संशोधन संख्या ५५ और १४१ नियम विरुद्ध हैं क्योंकि भारत के राष्ट्रमंडल से अलग होने के बारे में १२ फरवरी, १९६० को श्री अजराज सिंह ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिस पर चर्चा होनी है । कुछ चर्चा हो भी चुकी है । इनमें इस चर्चा की प्रत्याशा की गई है ।

शेष संशोधनों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि क्या वे चाहते हैं कि किसी संशोधन को अलग से मतदान के लिये रखा जाये ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अतः मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जिसे उन्होंने ८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९५९-६०

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा में अब अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें, वे उन कटौती प्रस्तावों की संख्या, जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं, सभा पटल पर भेज दें । यदि ये प्रस्ताव अन्यथा नियमानुकूल हुए तो, मैं उन्हें प्रस्तुत मान लूंगा ।

अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
११	प्रतिरक्षा सेवायें, सक्रिय—वायुसेना . . .	५,९९,७८,०००
१८	वैदेशिक कार्य	५८,१२,०००
२१	वित्त मंत्रालय	६,२०,०००
२९	टकसाल	१५,००,०००
३१	निवृत्ति भत्ते और पेंशनें	३४,२५,०००
३२	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय .	१,०००
३४	संघ और राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन . .	१,७१,०००
३८	कृषि	१,५१,०२,०००
५१	जनगणना	१५,०७,०००

†मूल अंग्रेजी में